न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/6342/2001/उदयपुर

मु.राधा पत्नी देवकीनन्दन (मृतक) जरिये वारिसान–

1. महेश चन्द पुत्र देवकीनन्दन शर्मा
2. दीनबन्धु पुत्र देवकीनन्दन शर्मा
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी 68/2 अशोक नगर उदयपुर तहसील एवं जिला उदयपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र मदन लाल जाति ब्राहमण निवासी जोशी भवन जगदीश चौक सूर्य मार्ग उदयपुर
2. श्रीमती पुष्पा पत्नी सिद्धीशंकर चौबे ब्राह्मण निवासी तेलीवाडा उदयपुर
3. श्यामलाल पुत्र मदनलाल जोशी निवासी जोशी भवन जगदीश चौक सूर्यमार्ग उदयपुर
4. शकुन्तला पुत्री मदनलाल जोशी पत्नी प्रमोद कुमार शास्त्री निवासी अशोक नगर रोड नं. उदयपुर
5. श्रीमती मंजू पुत्री मदनलाल जोशी निवासी जोशी भवन जगदीश चौक सूर्यमार्ग उदयपुर
6. वैणा पुत्र गोकुल डांगी (मृतक) जरिये वारिसान :–
   6/1 श्रीमती धन्ना पत्नी वेणा
   6/2 कूका पुत्र वैणा
   6/3 देवीलाल पुत्र वैणा
   6/4 श्रीमती नौजी पुत्री वैणा पत्नी सवाजी डांगी
   समस्त निवासी रूपसागर कच्ची बस्ती के पास गेडा मंगरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
   6/5 श्रीमती दल्लु पुत्री वैणा पत्नी धन्नाजी निवासी मेसडाकला तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
   6/6 श्रीमती तुलसी पुत्री वैणा (मृतक) जरिये वारिसान :–

6/6/1 श्रीमती लीला पुत्री तुलसी

6/6/2 श्रीमती गंगा पुत्री तुलसी

6/6/3 हीरालाल पुत्र तुलसी

समस्त निवासी रूपसागर कच्ची बस्ती के पास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

7. अमरा पुत्र धूला डांगी (मृतक) जरिये वारिसान :–

7/1 मेघा पुत्र अमरा डांगी

7/2 माना पुत्र अमरा डांगी

7/3 मोहन पुत्र अमरा डांगी

7/4 जितू पुत्र अमरा डांगी

7/5 इन्दर पुत्र अमरा डांगी

7/6 श्रीमती दुर्गा पुत्री अमरा डांगी

समस्त निवासी रूपसागर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, गिर्वा जिला उदयपुर
9. श्रीमती कमला पत्नी रामस्वरूप पंचौली
10. श्रीमती कलावती पत्नी वी.एन.शर्मा
11. श्रीमती मुकुल पत्नी विजय कुमार
12. श्रीमती कुमुद पत्नी सुधाकर

समस्त निवासी 68/2 अशोक नगर, उदयपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष
श्री नत्थूराम सदस्य

उपस्थित

श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक प्रत्यर्थीगणः 6/2,6/4,6/5
शेष रेस्पोडेण्ट्सः अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 12.6.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर (जिसे आगे **"प्रथम अपीलीय प्राधिकारी"** कहा

जायेगा) के निर्णय व डिक्री दिनांक 3–11–97 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलेक्टर गिर्वा जिला उदयपुर के न्यायालय (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** कहा जायेगा) में वादीया मु. राधा बाई जोजे देव किशनन्दन ने एक वाद प्रतिवादीगण श्रीमदनलाल पिता रामकुमार जी ब्राह्मण जी, श्री वेणा पिता गोकल जी डांगी, श्री अमरा पिता धुला जी डांगी एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल 15 तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 30–12–95 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 3–11–97से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल ने विवादग्रस्त समस्त आराजी दिनांक 5–3–68 को प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 को विक्रय कर दी जबकि दिनांक 5–3–68 को प्रतिवादी मदन लाल का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं था बल्कि सर्वप्रथम नामान्तरकरण संख्या दिनांक 6–2–70 को खोला गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त दिनांक 5–3–68 को मदनलाल खातेदार कृषक नहीं था। राजस्व रेकार्ड में रामकुमार खातेदार कृषक अंकित था तथा रामकुमार का स्वर्गवास हो गया था तो वादिया

एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हो गये थे। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय शून्य व बेअसर था। वादिया ने अपने वाद को साबित करने के लिये चार गवाहान के बयान कराये हैं एवं दस्तावेजी शहादत में प्रदर्श 1 लगायत 7 प्रस्तुत कर वाद सिद्ध कराया है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे उनका कथन सिद्ध होता हो क्योंकि प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र में रामकुमार का स्वर्गवास सन 1945 में होना बताया है जबकि इस बाबत कोई शहादत प्रस्तुत नहीं की थी। इससे स्पष्ट था कि रामकुमार की मृत्यु 19–8–56 को हुई थी। इस हेतु अपीलार्थी वादी ने नगर पालिका उदयपुर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। नगर परिषद द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट अंकित है कि रजिस्ट्रार को मृत्यु की सूचना मिलने पर तारीख 19–8–56 अंकित है। वादिया द्वारा उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–1 नगर परिषद से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर पेश किया जिसको बयानों से सिद्ध कराया है किन्तु दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने मृत्यु की तारीख पर ध्यान नहीं देकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को अधिक महत्व देकर निर्णय पारित किया है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि वादिया के पिता रामकुमार की मृत्यु दिनांक 19–8–56 को हो गई थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 17–6–1956 को प्रभावशील हुआ जिसके तहत पिता की सम्पति में पुत्री का अधिकार पुत्र के बराबर माना गया है इसलिये प्रतिवादी मदन लाल द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता था बल्कि अविभाजित हिस्से को ही विक्रय कर सकता था। इसलिये उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 5–3–68 अवैध एवं वादिया के विरूद्ध बेअसर था। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे। अपने कथन के समर्थन में 1973 आर

एल डब्लू पेज 674, 1982 आर आर डी पेज 299, ए आई आर 1963 एस सी पेज 1633, ए आई आर 1970 मैसूर पेज 305, ए आई आर 1966 पटना पेज 231, 2014 (1) डी एन जे राज. पेज 218, 1982 आर आर डी पेज 622, ए आई आर 1992 एस सी पेज 1604, आर आर डी 1989 पेज 527,168, ए आई आर 2001 कर्नाटका पेज 231, डी एन जे 2001 राज. पेज 516 की नजीरें पेश की।

6. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर तनकीवार विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1999 एस सी 2213, आर आर टी 2009(2) एस सी पसेज 713, आर आर टी 2001(2) पेज 882, आर आर डी 1983 पेज 159, ए आई आर 1978 इलाहाबाद पेज 185, ए आई आर 1994 सिक्किम पेज 6, ए आई आर 1982 केरला पेज232, ए आई आर 1991 एस सी पेज 930, व ए आई आर 1999 एस सी पेज 1441 की नजीरें पेश की।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया।

8. इस प्रकरण में मुख्य निर्णायक बिन्दु यह है कि खातेदार रामकुमार का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आने से पहले हुआ अथवा बाद में? इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी वादी की ओर से मौखिक शहादत के रूप में गवाह गिरजाशंकर, रविप्रकाश, महेश चन्द, केसा, हेमराज के बयान कराये गये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खातेदार रामकुमार के खाते की नकल प्रदर्श–1, जिन्स गिरदावरी की नकल प्रदर्श–2 व 3, मृत्यु

प्रमाण पत्र व विक्रय पत्र की नकलें पेश की हैं। प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से नकल नामान्तरकरण व पूर्व का वाद जो दिनांक 4–3–71 को पेश किया,उसकी नकलें पेश की गई हैं। वादग्रस्त आराजी रामकुमार पिता बालमुकुन्द के खातेदारी की थी, इस तथ्य को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। इस मामले में वादिया राधा बाई स्वयं गवाह के रूप में विचारण न्यायलय के समक्ष पेश नहीं हुई है। गवाह पी डब्लू–1 गिरजाशंकर के बयान कराये गये हैं जो राजकुमार का मरना दिनांक 19–8–1956 को बताता है। गवाह पी डब्लू–2 रविप्रकाश का कथन है कि रामकुमार सन 1956 में मरे थे। उस समय देवराम माली काश्त करता था, मदन लाल बाहर सर्विस करते थे। दिनांक 19–8–56 को देहावसान होना नगर परिषद के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कहता हूँ। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12–2–71 को जारी किया गया। गिरजाशंकर अपने बयान में कहता है कि दिनांक 19–8–56 की तारीख मेरी डायरी में दर्ज है। इस कारण नगरपालिका में मृत्यु के बाद तारीख नोट कराई थी। वहां मेरे हस्ताक्षर होंगे, याद नहीं। जिस डायरी में नोट किया, वह डायरी मेरे पास नहीं है, पेश भी नहीं कर सकता। गवाह रविप्रकाश कहता है कि सन 1961 के बाद तीन साल बाद पता लगा कि मदन जी ने जमीन अमरा बेणा को बेच दी है।

9. नगर परिषद उदयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जो प्रदर्श–1 है का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 12–2–1971 को जारी किया गया है जो रजिस्टर संख्या 1 में दर्ज है। क्रम संख्या 1071 को काटकर क्रम संख्या 538 अंकित है। रजिस्टर में मृत्यु की सूचना मिलने की तारीख 19–8–1956 अंकित की हुई है। सूचक का नाम इन्सपेक्टर वार्ड नं 2, 3 पता जगदीश चौक बताया गया। रामकुमार की मृत्यु होने के 15 वर्ष बाद नगर परिषद उदयपुर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है और मृत्यु की सूचना देने वाले इन्सपेक्टर व जिस रजिस्टर में रामकुमार की मृत्यु होना दर्ज किया गया है, इस बाबत न तो सूचना देने वाले इन्सपेक्टर को पेश किया गया

है न ही मृत्यु की सूचना कब व कैसे दी इसका कोई उल्लेख है। इस दस्तावेज में कांट छांट की हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले को न तो तलब किया गया है और न ही असल रजिस्टर तलब कराकर प्रदर्श कराया गया है। मृत्यु के बाद रजिस्टर में कितने वर्षों बाद इन्द्राज कराया गया है, यह सूचना नगर परिषद में किसने आकर दी, इस मामले में असली गवाह वादिया या वादिया का भाई हो सकता था। वादिया स्वयं विटनेस बाक्स में नहीं आई है, न ही अपने बयान कराये हैं न प्रतिवादी को वादिया से जिरह का मौका ही मिला है। यह प्रमाण पत्र 15 वर्ष बाद नगर परिषद द्वारा जारी किया गया। इसकी ताईद में नगर परिषद का कोई रेकार्ड रजिस्टर जो इस प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि करता हो, पेश नहीं किया गया है।

10. न्यायालय द्वारा नगर परिषद से असल रजिस्टर मंगाया गया तो नगर परिषद से यह लिखा हुआ आया कि असल रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 387 जो रामकुमार के मरने के बाद मदन लाल के हक में दिनांक 6–2–70 को खोला गया उसमें भी यह अंकित किया गया है कि रामकुमार फौत हो चुका है उसमें भी यह नहीं लिखा है कि कितने वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। उसके आगे यह अंकित है कि जिसके जाइन्दा लडके मदन लाल के नाम खाता रद्दोबदल की मंजूरी फरमावें। इस प्रकार तत्समय विधिक रूप से विवादित भूमि मदनलाल के नाम दर्ज हुई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना कर समवर्ती निष्कर्ष अंकित किये हैं जिनमें बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज 2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal - Relief cannot be granted merely on equitable grounds - Concurrent

finding of facts however erroneous - Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act 1955 - Section 224 read with Section 100, Code of Civil Procedure 1908 - Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nature, till then this court should not disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959 S.C. page 57- Hence this second appeal was dismissed.

11. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष